न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 180/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/398
दायर दिनांक :– 30.10.2024 निर्णय दिनांक :– 08.04.2026

1. पदमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बावड़ी कलां तहसील व जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 763/2 रकबा 6.6449 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा शेखासर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। वादी का नाम वादग्रस्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों की भूलवश डूंरसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज हो गया है वादी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम पदमसिंह पुत्र लालसिंह है। वादी राजस्व अभिलेख में अपना डूंगरसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर पदमसिंह पुत्र लालसिंह घोषित करवाने का हकदार है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को वादग्रस्त भूमि में राजस्व विभाग राल्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर किसानों के लिय चालाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का एवं के.सी.सी ऋण वगैरा लेने में भंयकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा वादी को किसान हित की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ता है। जिससे वादी को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिये वादी वादग्रस्त भूमि में अपने गलत नाम दर्ज डूंगरसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पदमसिंह पुत्र लालसिंह करवाने का हकदार है। इसलिये वादी शेखासर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 6.6449 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम डूंगरसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम पदमसिंह पुत्र लालसिंह के नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम शेखासर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 6.6449 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम डूंगरसिंह दर्ज है जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड इत्यादि में पदमसिंह दर्ज है। इसलिये वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर उक्त वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है। वादी पदमसिंह के बयान पी.डब्लू–1, सहखातेदार मालमसिंह के बयान पी.डब्लू–2

Satya..

कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2075—2078 ग्राम शेखासर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 6.6449 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में पदमसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत मिठड़िया द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, वादी के नाम दर्ज अन्य खेत खसरान् की जमाबंदी, सहखातेदारान् के बयान् इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम पदमसिंह पुत्र लालसिंह है। वादी के बयान पी.डब्लू—1 में नामान्तरकरण संख्या 547 प्रदर्श—1, जमाबंदी प्रदर्श—2, आधार कार्ड प्रदर्श—3ए, पेन कार्ड प्रदर्श—4ए, जन आधार प्रदर्श—5ए, परिचय पत्र प्रदर्श—6ए, राशन कार्ड प्रदर्श—7ए, बैंक डायरी प्रदर्श—8ए, बख्सीशनामा प्रदर्श—9ए है। वादी को डूंगरसिंह के स्थान पर पदमसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शेखासर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 6.6449 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम डूंगरसिंह के स्थान पर पदमसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..
(सत्य नारायण—I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. पदमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बावड़ी कलां तहसील व जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

मुकदमा संख्या :– 180/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम शेखासर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 6.6449 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम डूंगरसिंह के स्थान पर पदमसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.04.2026 को जारी की गई।

(सत्य नारायण–I R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।